न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी

1/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4447

1. लखपत सिंह दांगी पुत्र गराज सिंह दांगी
   निवासी--ग्राम कमलिया, सिरौंज, जिला विदिशा,
2. जयराम जाटव
3. लक्ष्मीनारायण जाटव पुत्र जयराम जाटव
4. गहेश जाटव पुत्र जयराम जाटव
   निवासीगण—तहसील, सिरौंज, जिला विदिशा,

——आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ——अनावेदक

आज दिनांक 13.11.17 को देवेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा प्रस्तुत 13.11.17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं० दि० 22-11-17

Noted

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार जल संसाधन उप संभाग सिरौंज, जिला विदिशा द्वारा नोटिस कैथन बांध के डूब क्षेत्र की भूमि के संबंध में। जबकि इन भूमिहिनों के पास शासन के पट्टे भी है। सिंचाई अधिनियम 1974 की धारा 94 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही के लिये नोटिस भी दिया है। खड़ी फसल को भी नष्ट करने का आदेश दिया है के विरूद्ध स्थगन देने की कृपा करे।

माननीय महोदय,

आवेदकगण को ओर से आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

1. यह कि, हम सभी आवेदकगण वर्ष 1980 से बांध के खाली हिस्से में कृषि कार्य करते आ रहे है। हम सभी आवेदकगण भूमिहिनों को शासन ने पट्टे भी दिये थे। हम सभी के परिवार का भरण पोषण उसी भूमि पर कृषि कार्य करने से होता है।
2. यह कि, आवेदकगण को कृषि कार्य करने एवं तैयार फसलों को नष्ट न करने का स्थगन देने की कृपा करे।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4447 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.12.2017	प्रकरण का अवलोकन किया। एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व अधिकारी के किस प्रकरण कमांक एवं किस आदेश के खिलाफ की गई है। इसका कोई उल्लेख न तो निगरानी मेमों में किया गया है और न ही आवेदक अधिवक्ता तर्को के दौरान बता सके हैं। ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	